CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 58 ▫ रायपुर, सोमवार 24 मार्च 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

छत्तीसगढ़ राज्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे : द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति ने मिनीमाता को किया याद

कहा- मेरा छत्तीसगढ़ से गहरा संबंध

छग विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम

रायपुर, 24 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित सभी विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके वाक्य छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया से की, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता और यहां की समृद्ध संस्कृति की सराहना की और इस अवसर का हिस्सा बनने पर खुशी जताई।

राष्ट्रपति ने कहा कि विधायक के रूप में जनता की सेवा करना एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा की अनुशासनप्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि यहां कभी मार्शल का उपयोग नहीं किया गया, जो अन्य विधानसभाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने उस नियम का भी जिक्र किया, जिसमें सदस्यों के वेल में प्रवेश करने पर स्वचालित निलंबन का प्रावधान है। राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह राज्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महिला विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, आपको महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने और महिलाओं के हित में नीतियां बनाने में आगे आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिनीमाता के योगदान और जनकल्याण में उनकी भूमिका को भी याद किया। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदाओं और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि यह राज्य सीमेंट, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, मुझे जानकारी दी गई है कि यह लड़ाई अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। नक्सल प्रभावित जिलों के लोग विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और जल्द ही यह समस्या समाप्त हो जाएगी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की भी बात की। उन्होंने कहा, हम रायपुर को ओडिशा का हिस्सा मानते हैं। भगवान जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं, बल्कि सभी के भगवान हैं। छत्तीसगढ़ से मेरा विशेष संबंध रहा है। अंत में, राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की जनता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा, मैं अब तक 5 से 10 बार छत्तीसगढ़ आ चुकी हूं और इस राज्य से मुझे गहरा लगाव है। हम सब एक हैं, भारत हम सबका है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़!

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने किया संबोधित

हम सभी विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए कटिबद्ध हैं : साय

छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा का रजत जयंती मनाया जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंची हैं. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उनके छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर आभार प्रकट किया और विधानसभा को संबोधित किया.

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष का जश्न मना रहे हैं. हमारी सरकार ने इस साल को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है. राष्ट्रपति की उपस्थिति इस सत्र को विशेष बना रही है. उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उच्च मूल्यों की स्थापना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में विवरण देते हुए, राज्यपाल ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया. उन्होंने प्रमुख व्यक्तित्वों के योगदान को भी याद किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए यह एतिहासिक समय है. हमारे विधानसभा के रजत जयंती पर आपका आगमन है. मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ़ से आपका ह्रदय से स्वागत करता हूं. मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा का रजत जयंती माना रहे हैं. अटल जी ने राज्य का निर्माण किया था. हम अटल निर्माण वर्ष भी माना रहे हैं. हम सौभाग्य शाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है. हम सब एक साथ मिलकर अच्छे वातावरण के बीच विधानसभा का काम चल रहे हैं. मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित करते हुए कहा कि आपने विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की है. हम आज आपको सुनेंगे और आपके अनुभव का लाभ लेंगे. हम सभी विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए कटिबद्ध हैं.

जिस रास्ते से गुजरा रष्ट्रपति का काफिला, वहां हुआ सड़क हादसा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से ठीक पहले रायपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है. उनके तय रूट पर रिंग रोड नंबर 3 पर दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिससे सड़क पर पेंट फैल गया है. हादसा मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में हुआ, जहां रेत से भरे डंपर और पेंट लदे ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे के चलते सड़क पर चारों तरफ पेंट फैल गया, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया. प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिंग रोड नंबर 3 का एक साइड आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और राष्ट्रपति के काफिले के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई.

राष्ट्रपति का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का आज छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रमेश बैस, सुश्री सरोज पाण्डे, गौरीशंकर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया।

यूनिवर्सिटी को नोटिस प्रोफेसर भर्ती पर लगी रोक

बिलासपुर, 24 मार्च (हाईवे चैनल)। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर प्रोफेसर की भर्ती का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही, मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर (कॉमर्स) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। डा. राजेश कुमार शुक्ला ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया है। साथ ही, उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है।

याचिका में बताया गया है कि प्राध्यापक पद के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 में स्पष्ट नियम निर्धारित है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर पद के लिए आवेदन तभी मान्य होगा, जब उसका कुल मासिक वेतन 7वें वेतनमान में नियुक्त सहायक प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक के वेतन से कम न हो। वर्तमान में 7वें वेतनमान के अनुसार सहायक प्राध्यापक का कुल वेतन 1,30,000/- रुपए से अधिक होना चाहिए। सत्यापन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) या फार्म-16 की जांच आवश्यक है। याचिका के अनुसार अगर कोई आवेदक निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से है, तो उसका शैक्षणिक अनुभव तभी मान्य होगा जब उसकी नियुक्ति संवैधानिक चयन समिति के माध्यम से हुई हो। लेकिन, यूनिवर्सिटी ने बिना नियम के प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया है।

ब्रेकिंग न्यूज

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में बवाल

नई दिल्ली, 24 मार्च (न्यूज चैनल)। कर्नाटक के सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के कारण सोमवार को दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के स्थगित कर दी गई। सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों ने जहां कांग्रेस के एक नेता पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी ताकत बी आर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं बदल सकती।

सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान के टुकड़े-टुकड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा...यह भारतीय संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक अनुबंधों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है, उन्होंने खड़गे से इस पर बयान देने की मांग की। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसे बचाने के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की।

चूहा- सुनती हो, जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि कमरे में मिले रुपए उनके नहीं हैं।

चुहिया- हां जी, जज साहब सही बोल रहे हैं, रुपए तो भारत सरकार के हैं।

राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली, 24 मार्च (न्यूज चैनल)। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी सोमवार (24 मार्च) को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 दिसंबर को निर्देश दिया था कि वह अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा 24 मार्च तक पेश करे। आज (24 मार्च) केंद्र सरकार इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। यह मामला कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की ष्टब्क्ख् जांच की भी मांग की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। बताया जा रहा है कि 2023 में जुलाई में, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लेने के बाद खारिज कर दिया था। इसके अलावा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर स्पष्टता मिलने के बाद ही इस मामले की सुनवाई करेगी। 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का भी हवाला दिया। उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 (2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। उनका तर्क है कि केवल भारतीय नागरिक ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यदि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का मामला दर्ज किया जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है, या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। इसके अलावा, उनकी भारतीय नागरिकता भी रद्द की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज उच्च न्यायालय में चर्चा होगी।

अंतरराष्ट्रीय साईबर ठग गिरोह का आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों से 10 करोड़ की ठगी

राजनांदगांव, 24 मार्च (हाईवे चैनल)। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत राजनांदगांव पुलिस द्वारा कंबोडिया स्कैम सेंटर के इंटरनेशनल साइबर ठग को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी पुलिस ने इस इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह के 04 सदस्यों को किया था। इंटरनेशनल साइबर ठगों के गिरोह द्वारा कम्बोडिया स्थित स्कैम सेंटर में विभिन्न फर्जी इन्वेस्टमेन्ट कंपनी एवं ऑनलाईन जॉब व टास्क के नाम भारतीयों से लगातार ठगी की जा रही है। इस गिरोह द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से लगभग 10 करोड़ रूपये की ठगी की गई है। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस ने डुंगरी वलसाद गुजरात निवासी आरोपी अल्केष कुमार मांगे को गिरफ्तार किया है जो वर्तमान में कंबोडिया रहकर कॉल सेंटर चला रहा था।

सीएसपी ने बताया कि आरोपी अल्केष के कंबोडिया से वापस बैंकॉक होते हुये पुणे एयर पोर्ट आने की सूचना पर साइबर टीम द्वारा उसे विमानतल पुणे से हिरासत में लिया गया है।आरोपी अलकेश मांगे माह जनवरी 2025 से कंबोडिया गया हुआ था आरोपी द्वारा कंबोडिया जाने के पूर्व भी मुंबई में अपने अन्य साथियों के साथ सक्रिय रहकर कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर को बैंक खाता व कीट उपलब्ध कराने का काम किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 02 नग मोबाईल, 02 नग एटीएम कार्ड्स, 08 नग सिमकार्ड जप्त किया है। पुलिस ने इस मामले में अबतक पांच आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया गया है।

नागपुर दंगा के मास्टर माइंड फहीम खान के घर चला बुलडोजर

■ **भड़काऊ भाषण देने के बाद हुआ कार्रवाई**

नई दिल्ली, 24 मार्च (न्यूज चैनल)। नागपुर में पिछले सप्ताह दंगा भड़का था। दंगा भड़कने के बाद एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस दौरान लगभग इतने ही नागरिक भी जख्मी हुए थे। बड़ी संख्या में सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवार किया गया था। दंगे में दुकानों पर भी भारी तोड़फोड़ की गई थी।

इस घटना का मास्टरमाइंड फहीम खान था, जिसको लेकर पुलिस ने नई जानकारी साझा की है। पुलिस के मुताबिक अब मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ये एक्शन नागपुर महानगरपालिका की टीम ने लिया है। महानगरपालिका की टीम सुबह ही बुलडोजर लेकर फहीम खान के घर पहुंची। इस दौरान सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में तैनात थे। फहीम खान बुर्का विक्रेता है, जिसने कुछ उत्तेजक बयान दिए थे और कुछ वीडियो शेयर हुए थे। इन बयानों और शेयर के कारण नागपुर में उपद्रव हो गया था। फहीम खान को पुलिस गिरफ्तार कर अदालत में बीते सप्ताह ही पेश कर चुकी है। फहीम खान समेत कुल छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी में शहर प्रमुख है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब फहीम खान ने किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। इससे पहले भी वो पुलिस के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहा है।

बजट से पहले इस बार हलवा नहीं 'खीर सेरेमनी' से भगवान राम को भोग

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद बनाई खीर

नई दिल्ली, 24 मार्च (न्यूज चैनल)। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत दिल्ली विधानसभा का पहला बजट सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ और 28 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी का बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा, जो नए प्रशासन के तहत एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति बदलाव को चिह्नित करेगा। सदन की कार्यसूची के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी, जो विधानसभा के वित्तीय शासन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को 'खीर' समारोह के साथ शुरू हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद खीर बनाई और फिर भगवान राम को भोग लगाया। पांच दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत खीर समारोह के साथ हुई। पहले दिन 2024 के लिए दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। मंगलवार को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त विभाग भी संभालती हैं, 27 वर्षों में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी।

इस साल का दिल्ली बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, जो 2025 के विधानसभा चुनावों में 27 साल बाद सत्ता में लौटी नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के तहत पहला वित्तीय खाका पेश करेगा। 24 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित पहले सत्र के बाद यह सत्र नए प्रशासन का दूसरा सत्र होगा। पिछले साल के बजट के विपरीत, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) ने मार्च 2023 में 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पेश किया था और जिसका विषय राम राज्य था, इस साल की वित्तीय योजना एक नया दृष्टिकोण लेकर आई है। %विकसित दिल्ली% बजट शीर्षक से, भाजपा सरकार के प्रस्ताव में राजधानी भर में समग्र विकास के लिए एक रोडमैप का वादा किया गया है।

CMYK